भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2342
(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

डिजिटल बाज़ार संबंधी विनियम

2342. श्री अरुप चक्रवर्तीः

क्या **कारपोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरोपीय संघ और अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा क्रमशः गूगल और मेटा के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्रवाई के बाद प्रतिस्पर्धा ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) विदेशी तकनीकी फर्मों के एकाधिकारवादी कार्यों के विरुद्ध प्रवर्तन तंत्र में सुधार हेतु सरकार की भारत के डिजिटल बाज़ार विनियमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप संरेखित करने की क्या योजना है;
(ग) प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों के द्वारा संभावित प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्रवाई से भारतीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
(घ) विनियामक समीक्षा और प्रवर्तन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को उद्यमों, जिनमें बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भी शामिल हैं, द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है। सीसीआई ऐसे आचरण की जाँच करता है जो धारा 3 के तहत प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौते या धारा 4 के तहत प्रभुत्व के दुरुपयोग के समान हो सकता है। डिजिटल बाजारों सहित सभी क्षेत्रों में अपनी प्रवर्तन कार्रवाइयों के माध्यम से, सीसीआई यह सुनिश्चित करता है कि बाजार प्रतिस्पर्धी और प्रतिस्पर्धा योग्य बने रहें। सीसीआई ने प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों सहित बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यप्रणालियों का संज्ञान लिया है और जाँच के आदेश दिए हैं, और जहाँ उल्लंघन सिद्ध हुए हैं, वहाँ मौद्रिक दंड के साथ-साथ रोक आदेश और अन्य उपाय भी लागू किए हैं।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल बाजारों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने प्रमुख सुधार पेश किए हैं जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को ऐसे बाजारों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए सशक्त बनाते हैं,जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ 2,000 करोड़

रुपये के सौदे मूल्य की सीमा और भारत में पर्याप्त व्यावसायिक परीचालन (एसबीओआई) मानदंड को सम्मिलित करना शामिल है ताकि उच्च मूल्य वाले डिजिटल बाजार लेनदेन को शामिल किया जा सके जो पहले इसके अधिकारक्षेत्र में नहीं थे; मामलों के त्वरित समाधान के लिए निपटान और प्रतिबद्धता तंत्र; कार्टेल प्रावधानों के भीतर हब-एंड-स्पोक सुविधाकर्ताओं को शामिल करना; वैश्विक कारोबार पर आधारित आनुपातिक दंड।

इसके अतिरिक्त, कानून, नियमों और विनियमों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और सिफारिशों, सुझावों और सीखों के आधार पर, सरकार समय-समय पर उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हितधारकों के यथोचित परामर्श से उनमें संशोधन करने के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

*****